लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1171

02 मई, 2016 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्र

1171. डॉ. स्वामी साक्षी जी महाराज:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सहित वर्तमान में देश के विभिन्न भागों में चल रहे सरकारी और निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ख) अगले तीन वर्षों में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुमानित संख्या क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस्पात क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): वर्तमान में उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक और नीजी क्षेत्र में चल रहे इस्पात संयंत्रों की संख्या राज्य/ संघ राज्यवार अनुलग्नक में दी गई है:-

(ख) और (ग): इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में है। नये इस्पात संयंत्रों के निर्माण के निर्णय अनिवार्य रूप से संबंधित कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक सोच विचारों के आधार पर लिए जाते है। तथापि, एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा नागरनार, छत्तीसगढ़ में एक नये एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की जा रही है। सरकार राज्य क्षेत्र के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण नहीं करती है। तथापि, एमओयू के लक्ष्यों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है।

(घ): सरकार ने राज्य क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए है:-

(i) सरकार ने इस्पात समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोयला ब्लाकों के आवंटन को सरल बनाने हेतु मार्च, 2015 में कोल माइन्स (स्पेशल प्रोविजन्स) अमेंडमेंड एक्ट, 2015 अधिसूचित किया है।

(ii) सरकार ने इस्पात क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने के लिए मार्च, 2015 में माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलेपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन) अमेंडमेंड एक्ट, 2015 भी अधिसूचित किया है।

(iii) सरकार ने कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एमएमडीआर अमेंडमेंड एक्ट, 2015 और उसके तहत नियम संशोधित किये है जिसमें ई-नीलामी के जरिये प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से 'विशेष अंतिम उपभोक्ता' के लिए लौह अयस्क का आवंटन किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(iv) इस्पात क्षेत्र पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जुलाई, 2015 में 5:25 योजना का विस्तार किया है जिसके द्वारा अवसंरचना और प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में परियोजनाओं को उनके आर्थिक कार्यशील जीवन अथवा परियोजना की रियायती अवधि के आधार पर ऋण चुकाने के लिए लम्बी अवधि अर्थात 25 वर्ष और तत्पश्चात् प्रत्येक 5 वर्षों में आवधिक पुनवित्तपोषण की अनुमति प्रदान की गई है।

(v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में केवल गुणवत्ता युक्त इस्पात का उत्पादन या आयात हो, इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, मार्च, 2012 और दिसम्बर, 2015 में जारी किये गये है।

***

अनुलग्नक

(लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1171 दिनांक 02.05.2016)

सार्वजनिक क्षेत्र	
राज्य	**संयंत्रों की संख्या**
छत्तीसगढ़	1
पश्चिम बंगाल	3
उड़ीसा	1
झारखंड	1
तमिलनाडु	1
कर्नाटक	1
आंध्र प्रदेश	1
क) कुल सार्वजनिक क्षेत्र	**9**
निजी क्षेत्र	
राज्य	**यूनिटें**
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	12
बिहार	42
झारखंड	132
मेघालय	12
ओडिशा	101
त्रिपुरा	1
पश्चिम बंगाल	85
छत्तीसगढ़	68
दादरा और नगर हवेली	27
दमन और दीव	12
गोवा	20
गुजरात	60
मध्य प्रदेश	15
महाराष्ट्र	74
चंडीगढ़	3
दिल्ली	2
हरियाणा	15
हिमाचल प्रदेश	20
जम्मू और कश्मीर	8
पंजाब	129
राजस्थान	64
उत्तर प्रदेश	101
उत्तराखंड	20
आंध्र प्रदेश	35
कर्नाटक	27
केरल	39
पुडुचेरी	18
तमिलनाडु	111
तेलंगाना	46
ख) कुल निजी क्षेत्र	**1300**
सकल योग (क + ख)	**1309**
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)	

***